न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 11/2018
GCMS NO. : 2018/00001

-:: वादीगण ::-

1. उदा पुत्र भगा के का0मु0
   1/1. चन्दाराम पुत्र उदा
   1/2. बलदेवराम पुत्र उदा
   1/3. नारायण पुत्र उदा
   जातियान- गुर्जर, निवासी- ग्राम पाटण, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राजस्थान।

बनाम

-:: प्रतिवादीगण ::-

1. उदाराम पुत्र मगाराम जाति- गुर्जर, निवासी- काणी प्रतापगढ़ (पाटण), पोस्ट रास, तहसील- जैतारण, जिला- पाली(राज0)
2. अमराराम पुत्र हापूराम जाति- गुर्जर, निवासी- पाटण, पोस्ट- रास, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0।
3. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार(लैण्ड होल्डर) एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण, तहसील- रायपुर जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.09.01.2018**

उपस्थितः-

1. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. महेन्द्र प्रजापत जैतारण, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 15/03/2021**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि ग्राम पाटण पटवार हल्का रास-2 तहसील जैतारण, जिला-पाली राज0 में खसरा नम्बर 2824/2 रकबा 02-00 बीघा किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। जिसकी वर्तमान जमाबन्दी की फोटो प्रति वादपत्र के साथ पेश है। वादपत्र के पद संख्या एक में वर्णित खसरा नम्बर की कृषि भूमि वादीगण के पिता उदा के पुत्र श्री भगा के रिकॉर्डेड कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। जो वादीगण के पिता के नाम से खसरा परिवर्तनशील से लेकर वादीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 23.11.1995 तक उसके बाद वादीगण उक्त कृषि भूमि पर बेरोकटोक काबिज खातेदार काश्तकार के रूप में चले आ रहे है। खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2029 की फोटो की फोटो प्रति वादपत्र के साथ पेश है। वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2057 से 2060 की खातौनी के दौरान हल्का पटवारी की लिपिकीय त्रुटि व भूल के कारण जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 2060 में वादीगण के पिता उदा पुत्र श्री भगा के स्थान पर भगा दर्ज कर दिया। जिससे उक्त खसरा नम्बर की भूमि का रिकॉर्ड अशुद्ध व गलत हो गया। जो सम्वत् 2057 से लेकर आज दिन तक चला आ रहा है। इसकी जानकारी वादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तब हुई जब वादीगण अपने पिता उदा पुत्र श्री भगा की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करवाने हेतु संबंधित हल्का पटवारी के पास गये तब वादीगण ने उक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व रेकर्ड की नकले निकलवाई तब राजस्व रेकर्ड में हुई अशुद्ध प्रविष्टि के अंकन की जानकारी हुई। जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 व संवत् 2049 से 2052, संवत् 2053 से 2056, संवत् 2057 से 2060 की फोटो प्रतिया वाद पत्र के साथ पेश है। जिससे उक्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी भूमि व रेकर्डेड कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि होना प्रमाणित एवं साबित है। वादीगण के उक्त खसरा नम्बर की भूमि के राजस्व रेकर्ड में संवत 2057 से 2060 की जमाबंदी खतौनी के दौरान हुई अशुद्ध प्रविष्टि के अंकन को दुरुस्त करवाने हेतु एक राजस्व वाद संख्या 46/16 घोषणा व रेकर्ड दुरुस्ती का माननीय सहायक कलेक्टर जैतारण के न्यायालय में पेश किया जिसकी डिक्री दिनांक 05.10.2017 को जारी की गई है। जिसकी पालना हेतु तहसीलदार जैतारण को तहरीर भी जारी की गई। राजस्व न्यायालय द्वारा जारी रेकर्ड दुरुस्ती व घोषणा बावत् डिक्री की प्रति वाद पत्र के साथ पेश है। वाद पत्र के पद संख्या एक में वर्णित भूमि अम्बुजा सीमेन्ट फैक्ट की माईन्स ऐरिया की परिधि में स्थित होने व भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता की वल्दीयत व निवास स्थान गलत दर्ज होने से प्रतिवादीगण संख्या एक का नाम पता राजस्व रेकर्ड से मिलान खाने के कारण उक्त भूमि से नाजायज वेजा फायदा उठाने की नियत से प्रतिवादीगण संख्या दो को दिनांक 17.07.2017 को जरिये पंजीबद्ध बेचान के बेचान कर दिया जबकि प्रतिवादीगण संख्या दो को भी यह भलीभांति जानकारी थी कि उक्त भूमि वादीगण की कब्जा काश्त की खातेदारी कृषि भूमि है। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या एक व दो ने जान बूझकर उक्त भूमि को अम्बुजा सीमेन्ट फैक्ट्री को मोटी कीमत में बेचान करने की नियत से दिनांक 17.07.2017 को एक फर्जी व कूटरचित तरीके से एक फर्जी व कूटरचित दस्तावेज प्रतिवादीगण संख्या तीन के यहा तहरीर व तकमिल करवा लिया और राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 301 का इन्द्राज करवा दिया है। लेकिन तथ्यो को छुपाते हुए छल कपट से उक्त भूमि का पंजीबद्ध बेचान होने व उसका नामान्तरकरण दर्ज हो जाने मात्र से प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का हक अधिकार नही हो सकता है। जिसे रदद घोषित करवाने का वादीगण को विधिक रुप से अधिकार है। जिसकी फोटो प्रति वाद पत्र के साथ पेश है। वाद पत्र के पद संख्या एक में वर्णित खसरा नम्बर 2824/2 रकबा 2 बीघा की कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या एक का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार व कब्जा काश्त नही होते हुए भी एवं वादीगण के पिता की वल्दीयत के गलत इन्द्राज होने व वादीगण व वादीगण के पिता का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होने का इल्म एवं जानकारी होने के उपरान्त भी राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण संख्या एक का नाम पता मिलान हो जाने मात्र से अपनी भूमि होना बताकर व उक्त भूमि का खातेदार व मालिकाना हक बताकर उक्त कृषि भूमि को एक लिखित पंजीबद्ध बेचान दिनांक 17.07.2017 को प्रतिवादीगण संख्या 2 को बेएवजाने रुपये 80,000/- अक्षरे अस्सी हजार रुपये रोकड़ प्राप्त करना बताकर एक फर्जी व कूटरचित लिखित पंजीबद्ध बेचान दिनांक 17.07.2017 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 290 पृष्ठ संख्या 76 क्रम संख्या 20107002465 पर प्रतिवादीगण सख्या दो के पक्ष में तहरीर व तमिल कर उप

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पंजीयन अभिकाती जैतारण के यहा पंजीयन कारवाया जस की लिखित पंजीबद्ध बेचान दिनांक 17.07.2017 की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश है। जिसे बाद का एक भाग माना जायें। उक्त लिखित पंजीबद्ध बेचान से प्रतिवादीगण संख्या 2 को विवादित कृषि भूमि में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा वादीगण के हितो के विरुद्ध निष्प्रभावी होनें से काबिल खारिज के है। इसलिए उक्त पंजीबद्ध बैचान दिनांक 17.07.2017 नल एण्ड वाईड है। दावा मनसूखी लिखित पंजीबद्ध बेचान दिनांक 17.07.2017 खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वादपत्र के पद संख्या एक में वर्णित खसरा नम्बर की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या एक का कोई हक हिस्सा, अधिकार व कब्जा काश्त विवादित भूमि में नहीं रहा है। फिर भी प्रतिवादीगण संख्या एक ने उक्त भूमि को अपनी भूमि होना बताकर प्रतिवादीगण संख्या दो के पक्ष में किया गया लिखित पंजीबद्ध बेचान दिनांक 17.07.2017 अवैध व गैर कानूनी है। नल एण्ड वाईड है। जो वादीगण के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिये प्रतिवादीगण संख्या एक द्वारा प्रतिवादीगण संख्या दो के पक्ष में किया गया लिखित पंजीबद्ध बेचान दिनांक 17.07.2017 को व नामान्तकरण संख्या 301 को रद्ध घोषित करवानें को वादीगण को कानूनी अधिकार है। इसलिए दावा घोषणा बेचान दिनांक 17.07.2017 खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। व प्रतिवादीगण द्वारा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर विवादित भूमि से वादीगण को बेदखल कर कब्जा करनें की कोशिश की तो मौके पर टण्टा फसाद होगा तथा विविध मुकदमें बाजी होगी वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध बार बार दीवानी व फौजदारी मुकदमें करनें होगें जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग होगी व वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है। जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं आंका जा सकता है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनें करनें का अधिकारी हैं इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण संख्या 3 राजस्थान सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारी है जिनके विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व कानूनी अवधि का नोटिस दिया जाना न्यायोचित है किन्तु वाद की परिस्थितियां इस प्रकार से उत्पन्न हो चुकी है कि कानूनी अवधि तक इंतजार किया जाने से वाद का का मकसद ही विफल हो जायेगा। इस हेतु अलग से 80(02) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति चाही गई है। कारण दिनांक 10.12.2017 को बमुकाम पाटण व ग्राम रास में उत्पन्न हुआ जब वादीगण हल्का पटवारी से सम्पर्क कर दिनांक 05.10.2017 को जारी हुई डिक्री की पालना व रेकर्ड दुरूस्त बाबत् जानकारी चाही तब हल्का पटवारी ने वादीगण को बताया कि आपकी भूमि का बेचान हो चुका है। तब वादीगण ने हल्का पटवारी से उक्त भूमि के बेचान सम्बन्धी भरे गये म्यूटेशन व जमाबंदी की नकले प्राप्त करते हुए लिखित पंजीबद्ध बेचाननामे की नकल दिनांक 13.12.2017 को प्राप्त करने पर उत्पन्न हुआ जो दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रखा है। इस कारण वादीगण ने यह वाद पत्र श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है जो अन्दर म्याद पेश है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:16 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो सामिल मिसल है व

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रतिवादी संख्या 02 बावजूद सम्मन तामिल/सूचना के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। प्रतिवादी संख्या 01 ने इकबालिया जवाब दावा पेश करते हुये वादपत्र में वर्णित सभी कथनों को स्वीकार करते हुये वाद वादीगण के पक्ष में निर्णित व डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की है। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

1. वादीगण के अनुसार वादग्रस्त आराजी ग्राम पाटण पटवार हल्का रास-2 तहसील जैतारण, जिला- पाली राज0 में खसरा नम्बर 2824/2 रकबा 02-00 बीघा किस्म बारानी दोयम वादीगण के पिता उदा पुत्र भगा की रेकॉर्डेड कब्जा काश्त की कृषि भूमि है, जिस पर वादीगण अपने पिता की मृत्यु दिनांक 23.11.1995 से बेरोकटोक खातेदार काश्तकार काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2057 से 2060 की खातौनी के दौरान हुई हल्का पटवारी द्वारा लिपिकिय त्रुटि व भूल के कारण जमाबन्दी सम्वत 2057 से 2060 में वादीगण के पिता का नाम उदा पुत्र भगा के स्थान पर उदा पुत्र मगा दर्ज कर दिया। जो वर्तमान तक चला आ रहा है। वादीगण के पिता वल्दीयत व निवास स्थान गलत दर्ज होनें से प्रतिवादीगण संख्या 01 का नाम पता राजस्व रेकर्ड से मिलान खाने के कारण उक्त भूमि का नाजायज फायदा उठाने की नियत से प्रतिवादी संख्या 02 को जरिये पंजीबद्ध बैचान के बैचान कर दिया गया तथा इसके आधार पर नामान्तरण संख्या 301 कारित करवाते हुये राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवा दिया गया। जो कि वादीगण के विरूद्ध आरम्भतः प्रभाव शून्य है। अतः भू अभिलेख से प्रतिवादी संख्या 02 अमराराम पुत्र हापूराम का विधि विरूद्ध दर्ज नाम विलोपित करते हुये वादीगण के पिता की वल्दीयत उदा पुत्र मंगा के स्थान पर उदा पुत्र भगा तथा निवास स्थान ढाणी प्रतापगढ़ के स्थान पर ग्राम पाटण दर्ज किया जावें।

2. वादीगण द्वारा बतौर साक्ष्य वादी प्रस्तुत प्रदर्श 1- पंजीकृत विलेख दिनांक 17.07.2019 के अनुसार ग्राम पाटण पटवार हल्का रास द्वितीय के खसरा संख्या 2824/2 रकबा 02 बीघा का उदा पुत्र मंगा कौम गुर्जर निवासी ग्राम प्रतापगढ़ (रास) द्वारा क्रेता अमराराम पुत्र हापूराम निवासी पाटण ग्राम रास को विक्रय किया गया। प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत् 2073-2076 ग्राम पाटण के अनुसार खसरा संख्या 2824/2 रकबा 02 बीघा जो खातेदार उदा पुत्र मगा कौम गुर्जर सा0 ढाणी प्रतापगढ़ के नाम दर्ज है। जो कि नामान्तरण संख्या 301 दिनांक 18.08.2017 द्वारा बैचान से क्रेता अमराराम पुत्र हापूराम गुर्जर दर्ज कि गई । प्रदर्श-3 जमाबन्दी संवत 2036 से 2039 ग्राम रास द्वितीय के अनुसार खसरा संख्या 2824 रकबा 02 बीघा किस्म बारानी दोयम में बतौर खातेदार उदा पुत्र भगा कौम गुर्जर सा0 प्रतापगढ़ की ढाणी अभिलिखित है। प्रदर्श-4 जमाबन्दी संवत् 2049-2052 व प्रदर्श-5 जमाबन्दी संवत् 2053-2056 ग्राम रास द्वितीय के अनुसार खसरा संख्या 2824 रकबा 02 बीघा किस्म बारानी दोयम में बतौर खातेदार उदा पुत्र भगा कौम गुर्जर सा0 प्रतापगढ़ ढाणी अभिलिखित है। प्रदर्श- 6 जमाबन्दी संवत् 2056-2060 ग्राम रास अनुसार खसरा संख्या 2824 रकबा 02 बीघा किस्म बारानी दोयम में बतौर खातेदार उदा पुत्र मगा कौम गुर्जर सा0 ढाणी प्रतापगढ़ अभिलिखित है। प्रदर्श-7 ग्राम पाटण पटवार हल्का रास द्वितीय के नामान्तरण संख्या 301 के अनुसार खसरा संख्या 2824/2 रकबा 02 बीघा जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:04:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर चदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

काश्तकार के रूप में उदा पुत्र मंगा कौम गुर्जर सा0 ढ़ाणी प्रतापगढ़ अंकित करते हुये जरिये पंजीकृत बैचान के क्रेता अमराराम पुत्र हापूराम कौम गुर्जर दर्ज किया गया।

3. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में आरम्भ से बतौर खातेदार उदा पुत्र भगा कौम गुर्जर सा0 प्रतापगढ़ की ढ़ाणी दर्ज रहा है। नवीन जमाबन्दी चौसाला सम्वत् 2056 से 2060 जो प्रदर्श-6 है की तैयारी के दौरान खसरा संख्या 2084 रकबा 02 बीघा में खातेदार उदा के पिता का नाम भगा के स्थान पर मगा दर्ज कर दिया गया। यह प्रविष्टि बिना किसी विधिक आधार एवं अधिकारिता के तथा पूर्ववर्ती प्रविष्टियों की हुबहु प्रविष्टि करनें के बजाय विधि विरूद्ध रूप से गलत प्रविष्टि कि गई है।

4. प्रतिवादी संख्या 01 उदाराम पुत्र मगाराम द्वारा प्रकरण में इकबालिया जबाब दावा प्रस्तुत करते हुये वादी के वादपत्र को स्वीकार करते हुये वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाना स्वीकार किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी उदा पुत्र मगा द्वारा दिनांक 17.07.2017 को निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र का शून्य होना तथा भू अभिलेखीय त्रुटि के आधार पर इसे निष्पादित करवा दिया जाना की पुष्टि की है।

5. साक्ष्य वादी के रूप में PW-1 चन्द्राराम पुत्र उदाराम, PW-2 बलदेव पुत्र उदाराम PW-3 भीकाराम पुत्र नारायण गाडोलिया लौहार निवासी पाटण, PW-4 झुंझारराम पुत्र पाबूराम गुर्जर निवासी पाटण, PW-5 नारायण पुत्र उदाराम गुर्जर निवासी पाटण द्वारा शपथ पत्र पर वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि करते हुये वादीगण के पिता उदा के पिता का वास्तविक नाम भगा होना स्वीकार किया हैं तथा भू अभिलेख में दर्ज भगा के स्थान पर मगा को त्रुटिपूर्ण माना है।

6. उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम पाटण पटवार हल्का रास द्वितीय तहसील जैतारण के खसरा संख्या 2824/2 रकबा 02 बीघा किस्म बारानी दोयम के भू अभिलेख जमाबन्दी में आरम्भ से खातेदार का वास्तविक नाम उदा पुत्र भगा अभिलिखित रहा है। जमाबन्दी चौसाला सम्वत् 2056-2060 के दौरान राजस्व कार्मिकों द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से खातेदार उदा के पिता का नाम भगा के स्थान पर मगा दर्ज कर दिया गया जो कि पूर्णतया विधि विरूद्ध , शून्य एवं त्रुटिपूर्ण है, तत्पश्चात् ऐसी त्रुटिपूर्ण भू अभिलेखीय प्रविष्टि के आधार पर वादग्रस्त आराजी का किया गया अन्तरण एवं इसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरण खातेदार के हितों पर आरम्भतः शून्य है। अतः भू अभिलेख में दर्ज त्रुटिपूर्ण एवं शून्य प्रविष्टियों को विलोपित करते हुये वाद वादी स्वीकार किया जाकर **“मगा/मंगा”** के स्थान पर **“भगा”** दर्ज करते हुये वादपत्र डिक्री किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत आदेश धारा-88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादी के पक्ष में बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। आराजी ग्राम पाटण पटवार हल्का रास-2 तहसील जैतारण, जिला- पाली राज0 के खसरा नम्बर 2824/2 रकबा 02-00 बीघा किस्म बारानी दोयम में बतौर खातेदार त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध दर्ज प्रतिवादी संख्या अमराराम पुत्र हापूराम कौम गुर्जर का नाम विलोपित करते हुये इसके स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित सम्वत् 2053–2056 तक की जमाबन्दीयों में बतौर खातेदार दर्ज उदा पुत्र भगा कौम गुर्जर सा० ढाणी प्रतापगढ़ को खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद करते हुये तत्पश्चात मृतक खातेदार उदा पुत्र भगा के वास्तविक विधिक वारिसान की जांच करते हुये नामान्तरण स्वीकृती की कार्यवाही सम्पादित करें। इसी कदर वादपत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 15/03/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:16 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–:: वादीगण ::–

1. उदा पुत्र भगा के का0मु0
   1/1. चन्द्राराम पुत्र उदा
   1/2. बलदेवराम पुत्र उदा
   1/3. नारायण पुत्र उदा
   जातियान– गुर्जर, निवासी– ग्राम पाटण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राजस्थान।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण ::–

1. उदाराम पुत्र मगाराम जाति– गुर्जर, निवासी– ढाणी प्रतापगढ़ (पाटण), पोस्ट रास, तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राज0)
2. अमराराम पुत्र हापूराम जाति– गुर्जर, निवासी– पाटण, पोस्ट– रास, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।
3. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार(लैण्ड होल्डर) एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण, तहसील– रायपुर जिला पाली।

<u>राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु0न0 :रा0वा0 स0: 11/2018

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादग्रस्त आराजी ग्राम पाटण पटवार हल्का रास–2 तहसील जैतारण, जिला– पाली राज0 के खसरा नम्बर 2824/2 रकबा 02–00 बीघा किस्म बारानी दोयम में बतौर खातेदार त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध दर्ज प्रतिवादी संख्या अमराराम पुत्र हापूराम कौम गुर्जर का नाम विलोपित करते हुये इसके स्थान पर वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित सम्वत् 2053–2056 तक की जमाबन्दीयों में बतौर खातेदार दर्ज उदा पुत्र भगा कौम गुर्जर सा0 ढाणी प्रतापगढ़ को खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद करते हुये तत्पश्चात मृतक खातेदार उदा पुत्र भगा के वास्तविक विधिक वारिसान की जांच करते हुये नामान्तरण स्वीकृती की कार्यवाही सम्पादित करें। इसी कदर वादपत्र बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–..... .फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 15/03/2021 को सरे ईजलास जारी किया गया ।

मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	-00	स्टाम्प वकालतनामा	01	-00
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	01	-00	महनताना वकील		
महनताना वकील	06	-00	खर्चा गवाहान	1	
खर्चा गवाहान	—		फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	03	-00	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	1		मुत्फरिक		
मिजानः-	12	-00	मिजानः-	01	-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:16 IST
Reason: SelfAttested